

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 76/2022

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|--|------|--|
| प्राधिकृत अधिकारी आदर्श कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड सिरौही। | | 1. मैसर्स संजय शूज कॉर्नर प्रो. श्री भरत कुमार जीनगर पुत्र श्री धनमलजी जीनगर निवासी पुलिस चौकी के पीछे रेवदर जिला सिरौही। 2. श्री विक्रम शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र शर्मा निवासी सदर बाजार रेवदर जिला सिरौही। 3. श्री धनमल पुत्र श्री पिथाराम निवासी जीनगर वास मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरौही। 4. श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री लालचन्द निवासी बुद्धेश्वर मन्दिर की गली रेवदर जिला सिरौही। |

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल
एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डावी, प्रार्थी बैंक ।

निर्णय

दिनांक : 14.07.2022



प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइडेशन एण्ड
रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी
इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया । प्रार्थी का
प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. मैसर्स संजय शूज कॉर्नर प्रो. श्री भरत कुमार जीनगर पुत्र श्री धनमलजी जीनगर
निवासी पुलिस चौकी के पीछे रेवदर जिला सिरौही।
2. श्री विक्रम शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र शर्मा निवासी सदर बाजार रेवदर जिला
सिरौही।
3. श्री धनमल पुत्र श्री पिथाराम निवासी जीनगर वास मण्डार तहसील रेवदर
जिला सिरौही।
4. श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री लालचन्द निवासी बुद्धेश्वर मन्दिर की
गली रेवदर जिला सिरौही।

को राशि रूपये 01,00,000/- लाख की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा
पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत रखी
थी। अप्रार्थी ने अपनी जायदाद All the piece and parcel of free hold
immovable property Situated at Village Madar, District Sirahi

जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही insuring area size 264 sq. Feet. Patta No. 461 & This Property Sale

Deed Registered before the Sub Registrar office Reodar on 06.07.1996, Book No. 1, jild No. 91 Page No. 163, Sr. No. 1008/96 & additional Book No. 1, Jild No. 78, Page No. 58, Page No. 205 to 207, This Property Equitable Mortgage by Mr. Bharat Kumar Jingar S/o Mr. Danmal Ji Jingar (Mortgager). है, को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 16.03.2022 को जारी किये गये। जो पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीयो के द्वारा बतौर जमानत रहन रखी गई सम्पति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित विन्दुओं की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं में से एक सिरोही में भी स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रुपये 01,00,000/- लाख ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है। बहस में कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नहीं करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। अप्रार्थी द्वारा राशि रुपये 01,00,000/- लाख का ऋण लिया था। ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष में उक्त जायदाद रहन रखी है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 16.03.2022 को जारी किये हैं जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है।

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

दी सिक्युराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :-

14 . Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or found to take possession thereof and the


Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

(a) take possession of such asset and documents relating thereto and

(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) , the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी



सिक्युराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ने अपनी जायदाद आवासीय सम्पत्ति All the piece and parcel of free hold immovable property Situated at Village Madar, District Sirohi measuring area size 264 sq. Feet. Patta No. 461 & This Property Sale

Deed Registered before the Sub Registrar office Reodar on 06.07.1996, Book No. 1, jild No. 91 Page No. 163, Sr. No. 1008/96 & additional Book No. 1, Jild No. 78, Page No. 58, Page No. 205 to 207, This Property Equitable Mortgage by Mr. Bharat Kumar Jingar S/o Mr. Danmal Ji Jingar (Mortgager), Four corner direction of the said immovable properties are given hereunder;

East- Owner Half Portion of Plot

West- Way

North- House of Shantilal S/o Javanmal Ji

South- Plot of Danmal S/o Pitha Ji

जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही उपरोक्त जायदाद पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में उक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस

थाना से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि उक्त सम्पत्ति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है तो ताला तोडकर उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी बैंक अपना कब्जा स्थापित करें। आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरौही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. भँवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही